

- (i) that in the fast growing urban sector there is proliferation of hawkers and vendors in the cities because of poverty and unemployment, and despite the useful service they render to the society they are looked upon as an hindrance to planned development of cities both by the elite urbanites and the town planners alike;

[Smt. Ela Ramesh Bhatt]

(ii) that hawkers and vendors are subjected to constant mental torture by the local officials and are harassed in many other ways which at times leads to riotous situations; and

(iii) that there is hardly any policy consistent with their needs; this House urges upon Government to—

(i) formulate a national policy for the hawkers and vendors by making them a part of the broader structural policies aimed at improving their standards of living;

(ii) protect their existing livelihood;

(iii) provide legal access to the use of available space in urban areas;

(iv) make them a special component of the plans for the urban development, by treating them as an integral part of urban distribution system;

(v) give them legal status by issuing licences and providing exclusive hawking zones; and

(vi) issue guidelines for action at local levels."

Sir, this is the subject on which I have been feeling agitated for all these years. I feel privileged to have got this opportunity to move my Resolution here. India, in spite of having a large rural population is one of the largest urban-populated country in the world. Many of its cities are amongst the biggest cities of the world. Today, a high rate of population growth and also urbanisation will cause the growth of the urban areas both in size and in number in near future. These urban areas, towns, cities and our metropolitan areas, have large concentration of population engaged in various economic activities. The low income self-employed groups in cities are usually referred to as the urban informal sector. They constitute upto 50 per

cent of the labour force in cities like Bombay, Calcutta and Madras. The Master Plan for Delhi, 1962 and the surveys done by the School of Planning, Delhi, indicated that 61 per cent of the total workers were in the unorganised sector.

In spite of the valuable contribution of the urban informal sector in the urban economy and also in the distribution system of goods and services, little attention has been paid to it in our urban planning. The people in this sector are either overlooked, or are looked down upon as something to be controlled, or as an eyesore which has to be removed. Their activities seem to conflict with the image of a modern city. A modern city in their concept has to be something like the city of Montreal or London or Toronto. In most cases, a modern city is equated to the Western cities. The assumptions are that the informal sector is anti-developmental. It is a temporary occupation, it is anti-social, it is dirty, it is unaesthetic. It is unhygienic. And because of this neglect and negative attitude towards the urban informal sector, the conventional framework of urban planning is bypassed. This whole sector is almost ignored from the conventional urban planning and therefore there is an unplanned urban growth. Therefore the poor people who are surviving in this informal sector have to solve their own problems outside the existing framework of urban planning and control.

The urban informal sector which is essentially self-employed has three categories—the home based producers which include artisans and piece-rate workers the petty vendors and hawkers who are selling various kinds of things like vegetables, fruits, eggs and fish—all kinds of household utility items, or leather goods; and all those who are selling services, including their own manual labour. They are loaders, cart-pullers and head loaders. Some of the surveys show that 40 per cent of the informal sector is engaged in petty trading. This is the study done by the Madras University. Also a census of informal

sector in retail trade of Delhi urban area in 1981 done by the School of Planning, Delhi; reveals that 11,39,000 informal sector units in trade and services were operative in different parts of the city of Delhi.

So what we are talking about today is these petty vendors and hawkers who are trying to eke out their meagre living in the cities and towns. A majority of these hawkers are those who sit and vend in their down-town city markets, on pavements or those who move on the streets with their head-load or push-carts filled with various kinds of goods. In the city of Ahmedabad, to which I belong, there is a down-town market called Manak Cowk. This market was created in the eighteenth century by the then ruler. Since then it has developed into a market, and today, according to our survey, we have been able to find that the vendors who are sitting today have been there since last three generations if not four. As the city developed, as the city grew, these vendors have been made sort of redundant, and they have been literally pushed out of the streets, and in their place big shops and big stores have come up.

Another study which has been done of the Bombay city by the School of Planning also reveals that amongst the vendors of Bombay, 73 per cent sell vegetables, fruit, egg, fish and such other agricultural produce, 23 per cent sell food items and 4 per cent sell non-food items. Amongst them, 86 per cent have daily income of below Rs. 15 to Rs. 20 exclusive of bribe in cash and kind. It mentions that 20 per cent to 60 per cent is the proportion of bribe from the total daily income, depending on the location where they are. Also amongst them, 83 per cent have been selling in this particular place since two generations, and 92 per cent of them are illiterate.

Amongst vendors of vegetables, fruit, eggs and fish are primarily women, that is, 87 per cent are

women amongst those who are selling vegetables, fruit, eggs and fish. Amongst these women, 46 per cent are the sole supporters for the family. There is no one else in their family to earn the living, and the family depends solely upon the income of these women. Aided to these are another 30 per cent of them who contribute more than 50 per cent of their income to the family.

Also, the study shows that there is no definite trend of hawkers increasing their income or accumulating capital over time. Perhaps one can say that they are getting poorer. Rather the pattern appears to be one in which a longer established group of hawkers has become caught in a low income net of hawking activity. It is also true that the younger, better educated hawkers have moved into more lucrative sector of hawking.

This pattern, of course, is not anti-development, it is not anti-social. Indeed it suggests, people well acquainted with cities, perceive opportunities in the hawking profession, that are not available in the other sectors of the city's activities. Thus, the hawking activity appears to act as a refuse occupation in which people eke out marginal or submarginal incomes. They form a large important segment of the urban poor.

There are serious problems of perception towards these hawkers and vendors. There are different attitudes with which they are perceived. This has put a kind of a very serious social pressure on the lives of the hawkers and vendors.

These hawkers and vendors are hard working. They are self-employed. They are business people. They are like any other people in business. They can be part of the organisations like the FICCI. They are also an integral part of the business and industry of our economy. They are trying to earn their living with dignity and with honesty but the shop keepers in the market see them :

[Smt. Ela Ramesh Bhatt]

competitors. They want to employ them as their servants. They perceive them as undesirable elements and as cheats.

The middle-class consumer, who buys from them almost daily as a habit, feels that hawkers are useful for basic services. They sell goods which are cheap, fresh and easily accessible. They offer these services near their door-steps.

The upper-class elite thinks hawkers are a nuisance. They feel that they are crowding the space. They perceive them as obstruction to the smooth flow of their cars. They see them as dirty, lousy and a sort of nuisance.

The police has to do a lot with hawkers and vendors. They are part of their everyday life. The police takes different stands depending on each constable on duty or depending on each Officers. As far as law goes, the police considers hawkers as a negative phenomenon, but when it comes to accepting bribes, the benefit is mutual.

The municipal authorities perceive them as hindrance in planning in building a modern, western and beautiful city.

The politicians by and large conform to the usefulness of the hawkers and vendors. Except for a few, who want to introduce Westernised planning, most politicians find that hawkers are good vote bank during elections. Therefore, though hesitant to make provisions for them in planning and also in policies, they tolerate them.

There is a book almost written by hawkers and vendors. Though they are illiterate, yet somebody has helped them to write that book. I would like to mention here about that book.

These hawkers, in short, whether they are carrying their wares around

as a headload or on a push-cart or whether they sit in a downtown market, have but a small capital; they make but a small and meagre earning and to survive in a big city, they hardly earn enough to feed or clothe their family. They are not much different in status from the poor peasants or the rural poor as we call them in rural areas.

I talked about the book where the street-vendor from Hyderabad has spoken. She speaks and the other person has written it. I would like to quote from that book. She says:

"You see, we hardly earn enough to keep us alive. The vegetables we get from the main market gets dearer everyday. And when we sell them, we cannot raise our prices as much. When the police starts arresting hawkers, we either lose our cabbage or tomatoes while running or they are taken away from us. When I hear that familiar whistle my arms automatically wrap around my vegetables and feet run as fast as they can, while my heart drowns me with its fast and loud beats."

This is the profile of a city hawker or vendor.

Let me ask: is vending unconstitutional? Is it a crime? Yes and no. Even though the Constitution of India grants a right to work in any place within the country to all the citizens, the Municipal Corporation Acts of major cities do indeed make it a crime to vend, hawk or trade. What is given with one hand is taken away by the other. Actually those who sell goods and services, Sir, for a living are people with enterprise and they have an acute sense of business, acute sense of demand and supply of the common people and they are quite in tune with the various needs of the local people at various levels. They are willing and they have been taking the risk. They are not demanding from the Government any subsidy. They are not making any pollution. They are not demanding any special treatment. They

are as good as any factory worker. They are as good as any shop-keeper. Instead of running from pillar to post hunting for a job and a job which is almost impossible to get, they have entered into the economy on their own. They are fending for themselves. They are finding employment for themselves. They are not asking the Government or the public for jobs and what they need, Sir, is *do tokri ki jagah*. They want only space 3' X 4' where one or two baskets which they can put in the market and sell. But the policy-maker do not have a place for them in their hearts. They have no regard. They do not even accept them. They do not accept their existence in the urban society or in the urban markets. Therefore, they are till today not able to get only simple *do tokri ki jagah*. Sir, is this their crime? Instead they are of providing invaluable service to the public. They provide and sell them all kinds of useful goods fresh and at their doorstep. The punishment for this crime is that they are beaten up by the police. They have to pay fines. They have to pay daily. They have to pay bribe in cash and kind to the police and to the municipal authorities. Their goods are being confiscated or destroyed. They are being locked up and cases of warrants are always chasing them. They are living in a constant fear of the police and the encroachment of the officials. Sir, this is the condition of them today. I would like to ask what kind of urban planning do we visualise? Is earning through honest means a crime? Parking is legal. Parking of cars in view of high value land space is legal. The problem of space for vendors has really become very serious in our cities. In the villages and towns vending is still legal. But in our cities hawking and vending has become an illegal activity. How can they combat with this kind of the policy-makers and of the Government? The large cities are concentrations of people and obviously the large number of people alone can provide livelihood to vendors and hawkers. Vendors and

hawkers can survive only when there is a large concentration of people. Without population there is no demand for their goods and services. So, no earning and that means no livelihood left. The concentration of people means everyone's travelling for the same limited physical space available in the city urban planning developed as a discipline to find ways of making the best use of physical space available in urban centres and to accommodate the various needs of the urban population. The city land is a very costly land. In our language, it is called a piece of gold. Now, those people who earn their livelihood from that land should get the priority or those people who park their vehicles there should get the priority. Who should get the priority? Sir, unless the urban planning and its various concepts recognize and accept the need for hawkers and vendors in the cities of a poor country, the municipal acts will not amend their provisions accordingly and continue to call vending on the roadside as encroachment because you do not plan for them. So, they have to find their own ways. If you sit with a basket to sell, it is called encroachment. If you park your car, then it is calling parking. This kind of attitude is unjust, totally unjust and because we are not planning for them, so, they have to find their own way of life and the police authorities then continue to harass them because they are illegal. What is the legal status of a hawker. I would like to ask. Absolutely none. It is the legacy of the colonial rule. In their quest for power and control, the British introduced laws governing the activities of hawkers. The major laws relating to hawking are, Indian Railway Act, Bombay Municipal Act and Bombay Police Act. These laws have been hardly changed since our country became independent; since last forty years, these laws have been hardly changed. Sir, the British framed most of the laws to facilitate their own lives, to facilitate their control to suit the administrative skills, for their

[Smt. Ela Ramesh Bhatt]

own physical security because they were in the strangers land. They wanted to protect themselves from the strangers. So, for their own physical security, they made these laws. Before that, we never had laws controlling our vendors and hawkers, and controlling out market. The convenience of the local people in the cultural context of India was the last; in any of the priorities in framing these laws. Even after the country has become free, we continue to model our laws and policies after the British laws. The legislation and also policies relating to hawking activity and trading is totally out of context of the functioning of Indian cities. We have our own culture, we have our own ways of buying and selling things but our architects, our town planners have hardly tried to study the ways and the traditions, how our own Indians markets operate, how our own people buy, how our own people would like to buy, from where and in which way that has been hardly taken into consideration by the town planners. For them the model is somewhere in Europe, in Canada, in North America. If the reality of the Indian cities and their people is of consideration, then hawking would be facilitated and not considered illegal or encroachment or nuisance or obstruction. Negative structural policies, aimed at decreasing the number of hawkers have led to the extreme riotous situation. A clear positive policy towards hawkers and the vendors at the national level is needed today and that is why, I have brought this resolution. As a spin-off from this negative image, several other negative attitudes have been generated.

Hawkers are perceived as dysfunctional appendages to the cities' economies. However, we believe that the general picture of that image is one in which hawkers perform a vital function in the distribution systems of the cities. They should be perceived, they should be

recognised as such. This will mean indigenous planning, solutions for these cities, for our cities, for cities of our kind, we need not imitate the plans of western cities. Our cities do not have to follow the development path of those countries. Given the present situation, given the present stage of development in our cities and also given the demography and economic trends, urban poverty may still persists for many years to come. Therefore, a two-tier marketing system with hawker activities constituting one-tier of an alternative planning paradigm could be considered by city planners. I am proposing a two-tier system. At present, city planners are more favourably disposed towards the formal sector in planning commercial provisions. It is not suggested that hawkers will take over all our supermarkets and our shopping complexes. I would like to emphatically say that there is ample room for a mutually beneficial existence. That is, both the formal and the informal sectors can coexist. That is the situation in our country, fortunately. We have also the example of Japan. Even with the phenomenal economic growth of Japan, a dual distribution system still thrives. Small-scale enterprises survive on tremendously varied, fragmented, demand from a population that observes traditional consumption pattern. Though Japanese are very modern, they are supposed to be still very traditional in their ways of life. And they have found their way, their own way of marketing system where the informal sector also has an equal place with the big supermarkets or department stores in Japan. In view of a like adherence perhaps, in most of our Asian cities, traditional consumption patterns are two-tier marketing systems. We may think of formalising them. But we should remember that the two-tiers must be planned for maximum integration and complementarity, not for destroying each other. We also have another example a positive example in an Asian country and that is Malaysia. The problems of hawkers are very similar in Asian metropolitan

cities. However, Kuala Lumpur has set an ideal example of dealing with urban poor. In Kuala Lumpur there have been elaborate structural programmes to encourage hawkers through loans of capital to set up stalls, providing all cleaning facilities or providing various designs of stalls, even new designs of push-cart and mobiles of different sizes. They have fully recognised their needs and therefore, their programmes are well advanced and form part of national policy design to increase employment opportunities in Malaysia. It is unfortunate that I have to quote examples of foreign countries. I would not like to do it. But because our town planners, our policy makers, in the case of urban development often find western cities more beautiful. I have tried to give illustrations of foreign countries. In day-to-day life hawkers have to deal with a number of different Government departments. They are pushed from pillar to post to solve their day-to-day problems. Today the plethora of Government departments concerned with a policy and action in regard to hawkers in most of the cities gives rise to confusion, corruption and high cost in the city administration. There is also hardly any consultation with hawkers' representatives whenever any change in policy or rules or actions is to be brought about. Decisions are taken by the authorities high-handedly. The authorities never even think of consulting the associations of hawkers and vendors or even individually. Therefore, I urge upon the Government to take up this issue very seriously. Hawkers and vendors are not organised sufficiently strongly. They have not been able to put up their case as strongly as industrial workers have done. I suggest there is need for an integrated authority to be set up whose primary responsibility would be the coordination and effectiveness of the urban distribution system. Let us take them as an integral part of the urban distribution system. Let us first recognise them, accept them, as part of the urban distribution system and then put them into a proper perspective. If hawkers are re-

garded as a major element of this system, if we accept that they are an integral part of the system, then their administration and policy should also be part of the integrated authority concerned with public markets, with hawkers, and the entire distribution system in general. There is no administrative structure on these lines in our cities today. Any authority such as this should have provision for adequate consultation between representatives of the distribution trade and officials so that a policy can be developed based on a two-way relationship. I would like to quote an example of the city of Ahmedabad as I am associated with an organisation of self-employed women workers and half of the membership happens to be hawkers and vendors. In our downtown market, namely, Manek Chowk market, as in other cities, they were being harassed. We went to the Supreme Court and the Supreme Court gave us a favourable judgment. The Supreme Court gave licences and asked the Municipal Corporation to design an alternative scheme for giving space to the hawkers and vendors in consultation with the associations or unions of these hawkers and vendors. So it is possible to have a dialogue and to find a way out. What I have found usually is that the whole problem is felt so overwhelming that no one wants to sit down and find a solution. The measures adopted for our hawkers should be aimed at increasing their integration into the urban economy and not jettisoning them from it, not only because they make a significant contribution to the city's economy but also in view of the fact that hawkers generally form part of the urban poor. Measures such as arrest, removal and the like simply increase their poverty. I emphatically urge the Government to view this problem in a wider perspective of poverty and unemployment, of a wider perspective of development and employment. Therefore, I would like to request that measures toward hawkers and vendors should be made a part of the broader structure of policies designed to improve the standards of living and welfare of the low-income population in the cities.

[Smt. Ela Ramesh Bhatt]

Sir, it is not necessary that integrated measures would involve costly investments. No. Numerous examples, practical examples, of simple and integrated measures to help the hawkers can be outlined like multi-purpose use of space, structural measures like making capital resources available—of course, this we are doing through out banks—providing facilities like drinking water, sanitation, garbage disposal, toilets, child care, transport, cold storage, etc. They do not involve a great cost. But they bring a tremendous amount of relief to these people. In the City of Ahmedabad—we have got figures—the Municipality there earns every day Rs. 21,000/- from these hawkers and vendors by way of fines from these poor people. At least from the amount of these fines one can plan for providing such facilities like drinking water, toilet, child care, etc. Such measures cost little and produce positive results.

There is always an attempt to keep the hawkers off the streets. The hawkers are an integral part of the urban economy. Measures to squeeze them out of the markets are disruptive. Our planners want our cities to be efficient. However, it is ironical that even when the Western city planners are bemoaning the sterility of the automobile-dominated cities and are producing plans for the return of street markets and giving high regard to pedestrian traffic, our city planners are planning to remove them; But the fact does remain that we need to preserve the traditional elements of cities, not simply for the romance of preserving the traditions, but as a matter of necessity. We need city plans of our own kind. Therefore I urge that we need a strong, firm and committed intervention of the Government at the national level.

Why am I asking for a national policy? It is because we badly need intervention at the national level to give a direction to the entire question of urban development: for whom our cities are made or designed, who and what should have priorities in framing urban policies, recognising the existence of the contribution and problems of these people in the urban

economy, helping the States to decide the criteria to consider land use plans in such a way that it makes for the integration of informal and formal sectors, etc. Then we should have innovative ideas and liberalise location policies. For example, the allocating plots of land for establishing complexes in the cities, space for vendors and hawkers can also be provided within that complex. They can give directions to encourage studies in the field of education and research in urban planning and urban planning and development. They can help them by giving guidelines for the issue of licences, fixing vending zones, fixing pedestrian zones, etc. So, at the national level also we want a national policy because it is a serious subject of employment self-employment. It is a serious subject of preserving and protecting the existing employment of the vast urban poor. If not, they would go begging or bottlegging. We require a new changing perspective of development. And that can come from the national level in consultation with the States and the associations of vendors and hawkers. It requires a certain distance, a perspective, to view the problem as a whole, and which very often is not there at the local levels. At local level unfortunately, it becomes a habited of corruption, of petty politicking and godfaddism.

Therefore I would urge upon the Government to have a national policy.

Thank you.

The question was proposed.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश): उप सभाध्यक्ष महोदय, श्रीमती ईला भट्ट जी ने जो सकल्प उपस्थित किया है इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ, बहुत जानकारीपूर्ण और बड़ी विस्तृत व्याख्या के साथ उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। इसके दो पहलू हैं एक मानवीय और दूसरा संवैधानिक। जहाँ तक मानवीय पहलू का संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उजड़ते गांव और बसते हुए शहर आज एक समस्या बन गए हैं। हमारे गांवों में जो छोटे-छोटे रोजगार धंधे थे वे आज समाप्त

प्रायः हुआ है। जब वह छोटे काम और धंधे गांवों में समाप्त हो गए तो लोग शहरों की तरफ तेजी से आने लगे। रोजी-रोटी की तलाश में वे शहरों की तरफ आ रहे हैं और यही एक समस्या है जिसकी इस संकल्प में विस्तृत चर्चा की गई है। पहले यह था और आज भी कुछ है कि शहर में लोग सामान लेकर गांवों में जाया करते थे, सामान बेचने और व्यापार करने के लिए और मैंने वह सारा जमाना देखा है। जो मसाले होते हैं इनकी पीठ पर लादे गांवों में लोग घूमा करते थे। धनिया, जीरा, काला नमक आदि चीजें छोड़ों और टट्टियों पर लादकर गांव-गांव में जाते थे व्यापार करने और सामान बेचकर अपनी रोजी-रोटी कमाते थे। इसी तरह हमने देखा है छोड़ों पर गप्या बाटते फिरा करते थे और उस पर सूद बहुत लेते थे। उसमें बहुत काबूली पठान होते थे। पुगने वक्त के और वह भी गांवों में जाकर कपड़ा दिया करते थे। मैंने गांवों में देखा है कि वहां पर विभिन्न प्रकार की सामग्री लेकर लोग जाते थे, अभी भी जाते हैं परन्तु उसका रूप बदला हुआ है। लेकिन अब वह उलटी ही समस्या हो गई है और गांवों के लोग शहरों में आ रहे हैं अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए हाकर बनकर और बेचने का सामान लेकर शहरों के मोहल्लों में जाना चाहते हैं और जा रहे हैं। मेरी उनसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जो कि संवैधानिक है। वह यह है कि जब हम उनको हर तरह की इजाजत देते हैं तो कुछ तो प्रायः मैंने देखा है बच्चों के लिए आइसक्रीम ले जायेंगे और आइसक्रीम खराब करने की चीज होती है तथा बच्चों को बीमारी भी हो जाती है। क्योंकि अच्छी चीज तो बेचने वाले वह होते नहीं और हों तो उन्हें घूमफिर कर बेचने की आवश्यकता ही न पड़े। यह एक बहुत गंभीर मामला है। दूसरा घूम-घूम कर बेचने से कानून-शिकनी तो होती है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पुलिस भी ज्यादाती करती है और म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी भी ज्यादाती करते हैं, इसलिए उनको लाइसेंस दे दिए जाएं तो वह परेशानी से बच सकते हैं। म्युनिसिपैलिटी की तरफ से जो छोटी-छोटी दुकानें बनाई जाती हैं उनमें उनको प्राथमिकता

दी जानी चाहिए। बहुत से फल विक्रेता राजेन्द्र प्रसाद रोड पर रहते थे और अब वह दुकानों में बैठे हुए हैं। इसलिए कुछ व्यवस्था तो उनके लिए होनी चाहिए। आजकल अपराधों का भी बड़ा भय शहरों में है। बेचारी महिलाएं धरो-अकेली हांती हैं और कई लोग सामान बेचने के बहाने से ही अपराध कर आते हैं। इसमें थोड़ा समझन की बात है। अब तो यहां तक हो गया है कि टेनीफोन ठीक करने आदि के नाम से लोग परों में चले जाते हैं और अपराध कर चले आते हैं। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं कई बानों का इस तरह से। इसका दूसरा पहलू संवैधानिक बता रहा था, सिपेशा पूरी है, बेकार लोगों को रोजी-रोटी देनी ही चाहिए। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यह नहीं कि जहां चाहा, लोग आकर बैठ जायें, जहां चाहा काम करने लगे। इससे तो उनका भी नुकसान होता है और समाज को या हमारे लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ता है।

मैं अधिक न कहते हुए इस विषय समर्थन में कहूंगा कि उन्होंने बड़ी विचार व्याख्या की है। इनमें जो निहित है उनकी भावना, वह यह कि एक नए हमारे गांव के बेकार लोग शहरों में आ जाते हैं, उनका रोजी-रोटी कैसे दो जमाने यहां आकर झुग्गी-झोपड़ी में लोग बस जाते हैं, वह मकान बनाने के काम पर लग जाएंगे या बिल्डिंग के काम पर लग जाएंगे या मजदूर के काम पर लग जाएंगे। जो सरकारी बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं शहरों में उनके लिए अगर गांव में लोग नहीं आते तो यह काम भी अधूरा होता है, तो आते हैं बेचारे। लेकिन उनके जो रहने की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है झुग्गी-झोपड़ियों में, न उनमें पानी की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक हैं, उनको टट्टी-पेशाब जमाने की व्यवस्था ठीक नहीं। वे लोग आते हैं रोजी की तलाश में, रोटी की तलाश में, लेकिन उनके ठहरने की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी जो योजनाएं हैं शहरों की उन योजनाओं को पहले ठीक करना

[श्री राम चन्द्र विकल]

चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि कितनी बड़ी आबादी हम शहर की रखना चाहते हैं ।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं दिल्ली की बात कहूँ । मैंने दिल्ली को चारदीवारी में देखा है, जिसमें गेट होते थे, जैसे यह अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट और एक दो और गेट थे, चारों तरफ दीवार के गेट थे, यह हमको पढ़ाया जाता था । यहाँ नई दिल्ली जो बनी है यह तो हमारे सामने बनी है और अब तो दिल्ली की कोई सीमा नहीं है और जो चाहे जहाँ से आकर बस जाता है । यह जो हैजा की बीमारी यहाँ चली है, मैं तो अभी उस तरफ गया था, मैंने देखा-पहले तो लोग आकर यह अनधिकृत कालोनियों में बस गए, पहले हम यह इजाजत दे देते हैं, फिर हम उन पर ज्यादाती करते हैं । इस तरह यह डबल काम हो जाता है । तो शहरों की आबादी कुछ सीमित होनी चाहिए कि इस आबादी से बड़ी आबादी का शहर नहीं बसने देंगे और उद्योग हम शहरों से हटकर लगाएँ तो फायदा यह होगा कि जो लोग आकर के एक ही जगह जमा हो जाते हैं, वह बंट जाएंगे ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, बड़े शहर, चाहे वह बम्बई ही हो, उसकी हालत भी यही है । मैंने खुद बम्बई में देखा है बड़े पाइप में लोग पड़े हुए हैं, उसी में खाना बना रहे हैं, रह रहे हैं, गरीबी में, परेशानी में वहाँ रह रहे हैं । इसी तरह से बम्बई जो अच्छा शहर कहलाता है, उसकी गलियों से निकलें तो बड़ी बदबू आपको मिलेगी क्योंकि लोग अव्यवस्थित ढंग से आकर बस जाते हैं । इसी तरह से कलकत्ता को लें या किसी दूसरे बड़े शहर को लें, उन सब की स्थिति ऐसी ही है । लोग यहाँ आते हैं—दिल्ली-दिल्ली करके, हमारे यहाँ एक मजाक में कहावत भी है कि गांव के आदमी को दिल्ली का खराब फल मिल गया, वह उसे खा रहा था तो दूसरे ने कहा यह क्यों खा रहे हो ? पहला कहता है कि खाता तो नहीं, लेकिन दिल्ली से आया है इसलिए खा रहा हूँ । तो खराब चीज भी शहर से अगर चली जाय तो उसको गांव के लोग अच्छी मान लेते हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर कोई खराबी भी बड़े शहर में हो जाए तो उसे अच्छाई में लोग समझते हैं बहुत दिन तक, हालांकि उसका नुकसान बड़ा होता है । शहरों की जो कालोनी बसी हैं, उनमें कुछ में सड़कों की व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है । मैं अभी दिल्ली के किशनगंज और शकरपुर, जहाँ बड़ी आबादी है, वहाँ गया था हैजे के बाद, चार दिन पहले की बात कहता हूँ, आज सफाई हो गई हो तो कह नहीं सकता, लेकिन चार दिन पहले देखा गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं और वजन वहाँ बढ़ आती है ।

तो उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो अंधाधुंध शहरों में आबादी आती जा रही है, चाहे वे गरीब लोग हों, हमें इन शहरों को व्यवस्थित बनाना चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी होने पर हमें दूसरा शहर बनाना है । इण्डस्ट्रीज दूसरी जगह लगानी चाहिए, जहाँ कि बेकार लोग उन इंडस्ट्रीज में पैदल आकर या साइकल से आकर काम करें और पांच-दस मील के फासले पर हों । मैं कहूँगा कि हमारी योजनाओं में सामंजस्य नहीं है, चाहे वह आठवीं पंच-वर्षीय योजना बन रही हो या सातवीं पंचवर्षीय योजना हो । इन योजनाओं में कोई तारतम्य नहीं हो पाया है, जोकि योजना के लिए जरूरी है । पहले तो हम शहरों की आबादी की योजना को निश्चित करें कि हमें शहरों को किस आबादी तक बसाना है । आबादी सीमित रहने से जो लोग रहेंगे, वे अवैध रूप से तो नहीं आएंगे कम से कम । तो यह सारी बातें इसमें हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल की इस भावना का भी हृदय से समर्थन करता हूँ, बेकार लोग मजबूरी में जो शहरों में आते हैं, उनको इजाजत दी जाये या ना दी जाये, यह जरा विवादास्पद विषय है । उनको काम करने की हर तरह से व्यवस्था की जाय । उन को ठहराकर दुकान दे दें, उनकी रिहायशी का इंतजाम कर दें, उन के लिए ट्यू-पेशाब का इंतजाम कर दें क्योंकि यह तो मनुष्य की आवश्यकता है । मुझे

उन गरीबों के साथ पूरी सहानुभूति है जो गांवों से काम की तलाश में शहरों में आ रहे हैं। साथ ही हमें गांधीजी के बताए रास्ते पर चलकर गांव में ही छोटे उद्योग खोलना चाहिए। आज दूसरे काम जैसे चमार का काम, लोहार का काम, बढ़ई का काम, धोबी का काम—ये सारे हमारे गांवों से छिन गए हैं। वहां के लोग बेकार हो गए हैं और इस तरह जमीन पर दबाव आ गया है। आज छोटी जमीन वाले किसानों के लड़के नौकरी की तलाश में शहर-शहर घूम रहे हैं। यह एक सच्चाई है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फर्रुखाबाद गया था, सन् 1952-53 में जबकि मैं एसेम्बली का मेंबर था। वहां के फौज के अफसर ने फौजी कैप दिखलाना शुरू कर दिया। वहां मेरे गांव के पास के दो बच्चे घास छील रहे थे। वहां मुबह यह सब काम करना पड़ता है। मुझे देखकर बेचारा ने खुरपी रख दी और आकर कहने लगे कि आप गांव में जाकर मत कहना कि वहां हम घास छील रहे हैं। वे किसान के लड़के थे लेकिन उन्होंने गांव में खेती का काम नहीं किया। सोचते थे नौकरी में बड़ी इज्जत होती है। दूसरी जगह मैं गया वहां सूअर रखे जाते थे। उनके लिए चावल का आटा नालों में डालते थे। गांव में तो इसे मेहतर का काम कहते थे। वे कहने लगे आप गांव में मत कह देना। हमारी रोटी पानी बंद हो जाएगी। इस तरह रोजी-रोटी की तलाश में बेचारे जाते हैं और जो भी काम करना पड़ जाय वे कर लेंगे। चाहे लोहार का काम हो, बढ़ई का काम, धोबी का काम, नाई का काम और जो खेती में सहायक दूसरे काम हमारे गांवों में बड़े अच्छे होते थे। लेकिन आज बड़ा-वड़ी फैक्ट्रियों ने सारे काम ले लिए। आज जरूरत इस बात की है कि छोटे उद्योग गांवों में कैसे बनवाएं जाएं? तभी हम बढ़ती हुई आबादी के दबाव को योजनावद्ध तरीके से रोक सकते हैं और जो यहां आ ही जाएं उनको लायसंस देकर व्यवस्थित ढंग से काम करने की इजाजत देनी चाहिए। मैं इस संकल्प की भावना से पूरी तरह सहमत हूं पर मेरी थोड़ी-सी शिकायत यही है कि लोग व्यवस्थित रहकर काम कर सकें तो ज्यादा अच्छा है।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY

(Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, the hon. Member, Smt. Ela Ramesh Bhatt has raised a very vital point regarding these poor people of our country. These people who are in petty business, who are a vital link in our social and economic life, have long been neglected. I feel that it is a great social injustice done to these people. Sometimes these people cannot do their business properly in one place. And interested people drive them away from place to place. Even their living is so bad that they live like pigs. They lead such a pitiable life that they do not have proper sanitation, they do not have proper drinking water, not to speak of clothing for their children. I feel that it is a great sorrow that these people have been so neglected. And we people, the politicians or the Government, think of these people at the time of elections because we need their vote, and we think of these people at a time when we want to bring out a morcha. During that time we feel the importance of these people. And we do not care about the condition of these people on whom 50 per cent of the people of the country rely upon.

Secondly, Sir, these people are coming to towns not because of luxury or for a romantic purpose. They are coming to towns because they have got no land to rely upon. That is why they are coming to towns. They do not have proper qualifications to get good jobs. That is why, to feed their families, they resort to some sort of petty business. But their earning is so poor that they cannot maintain themselves properly. They cannot maintain their homes and they cannot live a decent life just as most of us do. I think it is a very vital issue. I am sure by hon. Member, Elaji, and I urge the authorities concerned to pay heed to the suggestion made by the hon. Member. I say this because if it is not done sometimes these people will revolt and they will surely shake the bottom of the society not to speak of the Government. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SRI
SATYANARAYAN REDDY): She
singhji, not here.

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आंध्र प्रदेश) : जनाब वाइस चैयरमैन साहब, मैं मोहतरमा ईला रमेश भट्ट ने जो रेज्योल्यूशन पेश किया है उसकी भरपूर तारीफ करने के लिए खड़ा हुआ हूँ इस वजह से कि यह वक्त की अहम जरूरत है। आजादी के बाद यह देखा गया कि लोग देहातों से शहर की जातिव रुख करने लगे और वे अपने रोजगार के लिए अपनी गंटी के लिए देहात से शहर मुतकिल हुए। इसकी वजह एक यह भी है कि मुद्रा हकूमत भी इसकी जिम्मेदार है। इस वजह से कि देहात में जो मूहलियतें देहातियों के लिए वहां पहुंचानी चाहिए थीं, हुकूमत ने वह सूलियतें नहीं पहुंचाई जिसकी वजह से देहात के लोग मजबूर हो गए और रोजगार की तलाश में देहात छोड़कर, गांव छोड़कर शहर मुतकिल हुए। चुनावों इन 40 बरसों में हमने यह देखा कि आजादी के वक्त के जो बड़े-बड़े हिन्दुस्तान के शहर हैं जैसे बम्बई है, कलकत्ता है, दिल्ली है, मद्रास है, इस किस्म के बड़े शहर की आबादी में कई गुना इजाफा हो गया—दुगुनी, तिगुनी बल्कि मैं यह कहूंगा कि चार गुनी से भी ज्यादा हो गई। इसकी वजह यह है कि हुकूमत ने जितनी भी इंडस्ट्री कायम की, वे इन्हीं बड़े-बड़े शहरों में कायम कीं। फिर इसके अलावा बिजनेस का जो सेक्टर हुकूमत ने बनाया तो जाहिर है कि इन्हीं बड़े शहरों में बनाया और इन बड़े शहरों में रोजगार हासिल करने के लिए बेहतर से बेहतर मोवाके आवागम को मिलने लगे। तो देहातियों ने देखा कि रोजगार अगर हासिल करना है तो हमको शहर जाना पड़ेगा, वनाचे इन लोगों ने शहर की तरफ रुख किया। जहां बड़े शहरों की आबादी में कई गुना इजाफा हो गया तो जाहिर है कि इन शहरों की रोजगारों की जिन्दगी की चीजों के लिए भी जाहिर है कि वहां के कारोबार भी दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए और जो हाकर्स और छोटे-छोटे विन्डर्स होते हैं उनकी तादाद बढ़ती चली गई और यह जो हाकर्स और छोटे-छोटे विन्डर्स हैं इनके कारोबार कोई हजारों-लाखों के कारोबार तो नहीं हैं बल्कि इनके कारोबार सौ

में या एक हजार या दो हजार के कारोबार होते हैं। कहीं तरकारी बेचने हैं तो किसी जगह मछली बेची जाती है, किसी जगह खाने-पीने की चीजें मुहैया की जाती हैं। गोया यह कि इन शहरियन की जरूरत की चीजें ये हाकर्स और छोटे-छोटे विन्डर्स इनको पहुंचाते हैं। इस तरह से वे उन शहरियों की खिदमत करते हैं तो गोया वे अपना रोजगार भी कमाते हैं और साथ ही साथ उन शहरियों की खिदमत करना भी उनका मकसद होता है। कोई चोरी के जरिए, कोई डाके के जरिए, कोई गुण्डागर्दी के जरिए वे अपना रोजगार नहीं कमा रहे हैं बल्कि जायज और अच्छे मकसद की खातिर वे अपने छोटे-छोटे धंधों में मसरूफ हैं। मगर हम यह देख रहे हैं कि इन कारोबार में जब वह मसरूफ रहते हैं तो जाहिर है कि किसी किस्म का लाइसेंस वगैरा उन लोगों के पास नहीं रहता। जाहिर है कि फुटपाथ पर, सड़कों पर वे लोग कारोबार करते हैं और पुलिस की ज्यादाती आम तौर पर देखने में आती है। वैसे तो पुलिस नज़र-अंदाज भी कर सकती है मगर रिश्तत लेने की खातिर वह उन बेचारे गरीब हाकर्स और छोटे-छोटे विन्डर्स को परेशान करती है। रोजाना मामूल वसूल करते हैं। इसके अलावा जो म्युनिसिपल अथोरिटीज हैं, उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं उनकी भी नज़रें इन बेचारे गरीब हाकरो, छोटे वेंडर्स पर रहती है। वे भी इन लोगों को सता कर पैसे और मामूल वसूल करते हैं। इन चीजों से हट कर यह देखा गया है कि खुद मार्केटिंग के लोग इन लोगों को सताते हैं। ये लोग मुखतलिफ डिपार्टमेंट के होते हैं और ये गरीब बेचारे लोग उनके शिकार बनते हैं। न तो इनको किसी किस्म की कानूनी सूलियत है और न इनको कोई रोजगार की गारण्टी दी गयी है। 40 साल के गुजरने बाद भी इन लोगों की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया गया है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए वक्त की अहमियत को समझे। देखें कि उनकी क्या-क्या प्रोब्लम्स हैं और उन प्रोब्लम्स को हल करें। सबसे अहम प्रोब्लम यह है कि वह खिदमत कर रहे हैं और खिदमत के तहत ही वे अपने गांव

से शहर में आये हैं। जाहिर है सबसे पहले उन को रहने के लिए मकान की जरूरत है। इस किस्म की हाउसिंग प्रोजेक्ट को हल करना हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इससे हट कर उनको कारोबार करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उन चीजों को भी मुहय्या करना हुकूमत का फर्ज है। उनको कूड़ा देना चाहिए, लोन देना चाहिए ताकि वे अपने कारोबार को बेहतर से बेहतर अंजाम दे सकें। उनको आपको छोटी-छोटी दुकानें बनाकर देनी चाहिए ताकि उनका जो माल है, उनके जो असेट्स हैं वह उनमें रह सके और अपने कारोबार को बेहतर अंजाम दे सकें। तीसरी अहम बात यह है कि उनको लाइसेंस भी दिया जाना चाहिए। उनको एक कानूनी शकल देना बेहद जरूरी है। जब तक आप कानूनी शकल नहीं देंगे उस वक्त तक म्युनिसिपल अथोरिटी, मार्केटिंग प्रथोरिटी, आप यकीन मानिये हर वक्त उनको सताती रहेगी। जिस मकसद के लिए वे बेचारे एक गांव से जहां शहर में आये हैं और सही और जायज धंधा कर रहे हैं वे मकसद उनका पूरा नहीं हो पायेगा। इस वजह से यह जो रेजोलूशन हमारी मौजिज साहिवा ने पेश किया है उसकी भरपूर ताईद करता हूं और हुकूमत से यह दर्खास्त करता हूं कि नेशनल सतह पर, कौमी सतह पर पालिसी बनाइये और ऐसी पालिसी बनाइये कि होकर्स जो होते हैं, वेंडर्स होते हैं उनके बैल्केयर के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी सहूलियत के लिए तमाम चीजें मुहय्या हो सकें। इन तमाम चीजों से हट कर सबसे अहम बात यह है उनका जो कारोबार चल रहा है उस कारोबार को कानूनी शकल दें। इतना कह कर मैं इस रेजोलूशन की भरपूर ताईद करता हूं।

श्री हरि सिंह (उत्तर प्रदेश)

मान्यवर, श्रीमती ईला भट्ट जी का जो प्रस्ताव है उसकी भावना और उसके मूल में जो सवाल है उसका हल, उसका सोल्यूशन, उसका समाधान होना चाहिए। इस भावना की, स्पिरिट की मैं तारीफ करता हूं, प्रशंसा करता हूं। आज जितने बड़े शहर हैं चाहे वे हिन्दुस्तान के हों, चाहे अफ्रीका हों, एशियन हों

या दूसरे मुल्क के हों वह समस्या सभी में है। इस समय जो लोग फेरी वाले, रेहड़ी वाले, गाड़ी तादाद में हर शहर में हैं वे अपना काम करते दिखाते हैं। ये लोग जो शहर में आये हैं वे हैं वे अधिकतर वे लोग जो सर छिपाने के लिए आये हैं होती। जिनका न कोई न कोई आंगन होता है न कोई फेमिली तो ऐसी गांवों में सताये होते हैं रोजगार नहीं मिलता रोजगार की तलाश करते जाते हैं। गांवों में नहीं देता है। मगर दस रुपये कमाने आ जाते हैं।

[उपसभाध्यक्ष (उत्तर प्रदेश) :]
पाठानुसार

ये लोग शहरों में आकर अपनी जीविका चलाने की कोशिश करते हैं। अब हमारे सामने खड़ा यह आता है कि क्या हमारे सामने शहरों की व्यवस्था खराब हो रही है? आप जानते हैं कि हमारे शहरों में लोड बढ़ रही है। पटरियां पर लोग बैठे जा रहे हैं। हमें इस समस्या पर मातृव्य दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है। सब लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, काम धन्धा नहीं मिलता है। यह भी नहीं हो सकता कि उन लोगों को पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए जो जहां चाहे खोमचे लगाएं। अगर ऐसा किया गया तो शहरों में मुश्किल हो जाएगा। कच्चा माल वहां से नहीं निकल पाएगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि इन लोगों को रोजगार मिले, काम भी मिले, वे भी न हों। लेकिन ये लोग एक स्थान पर रुक जाते हैं। ये तो बहने लोग हैं। वे शहर पर रहते हैं किसी कितने पर रहने में सड़क के भी नहीं है, उन लोग

[श्री हरि सिंह]

करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने छोटे-छोटे स्टाल भी बना रखे हैं, चाहे वे म्युनिसिपल कमिटी ने बनाये हों, या अन्य मंस्थाओं ने बनाये हों, इन पर इनको अपना काम धन्धा करने का मौका दिया जाना चाहिए। दिक्कत उन लोगों के लिए आती है जो झाड़ू लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ये सस्ती चीजें भी बेचते हैं। इनके लिए भी कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है कि ये अपनी चीजें ठक कर बेचा करें। उनको स्वास्थ्य के नियम बताये जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इन फेरी लगाने वालों और खोमचे वालों की समस्या बड़ी विकट है। यह भी नहीं हो सकता है कि इनको ग्रन्धा-धन्ध बढ़ने दिया जाय। मैंने कर्नाटक में देखा कि श्री देवराज अर्स के जमाने में इन लोगों को छोटी-छोटी दुकानें दी गई हैं। उसी प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। हमारे सामने यह भी समस्या है कि हमारे शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। शहरों के आस-पास हमें सेटेलाइट टाउन बनाने हैं। विकल जी ने कहा कि शहरों में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां खोली जाय। लेकिन दंगातों में लोग रहना नहीं चाहते हैं। हैण्डलूम सबसीडी पर चल रहा है। आज खादी लज्जरी हो गई है। उसको मेंटेन करना मुश्किल हो गया है। यह सरकारी अनुदान पर चल रही है। सरकार की नीतियां अच्छी नीतियां हैं। लेकिन समस्या यह है कि गांव और शहर सभी जगह हमारी आबादी बढ़ रही है। यहां पर उसकी प्रतिध्वनि होती है। यह राष्ट्रीय समस्या क्या है इसका क्या उपाय रखा जा रहा है इसकी प्रतिध्वनि होती है। माननीय सदस्यों ने के सम्मुख जो प्रस्ताव रखे हैं वह, काबिले तारीफ और मैं समझता हूँ कि सरकार का उस तरफ ध्यान भी है। आप देखें कि ऐसे लोगों को किसी न किसी शक्ल में आबाद किया जाता है, उनको लाइसेंस भी दिया जाता है और उनके लिये कुछ न कुछ नये तरीके निकालकर उनको बिठाया जाता है। लेकिन अधिकतर यह देखा गया है कि पुलिस इन लोगों

को तंग करती है, मारपीट करती है, और उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। हां, जो उनको पैसा देते रहते हैं उनका काम चलता रहता है। इस प्रकार यह दो तरह की बात है। इसको सरकार रोक सकती है। जो मेहनत करके सिर पर सामान लादकर अपनी बीबी के साथ, अपने बच्चों के साथ समान बेचता है, अपनी रोजी रोटी चलाता है, उनको पुलिस द्वारा या नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा तंग किया जाना और उनका सामान ले जाना मुनासिब नहीं है। यह सब करना हमारे डेमोक्रेटिक मुद्दे में, हमारे प्रजातांत्रिक देश में मुनासिब नहीं है। मैं इस प्रस्ताव की भावना से महमत हूँ और मेरा यह शायद है कि जब भी कोई नयी टाउन प्लानिंग हो जब भी कोई नया शहर और मार्केट बनाया जाय तो उनमें कुछ स्टाल लाजिमी तौर पर ऐसे लोगों को अलाट करना चाहिये। ये लोग फुटपाथ पर पैदा होते हैं, वही जवान होते हैं और वहीं बूढ़े होते हैं। इनका वही घर होता है। आखिर मैं जरूर उनको फूंकने के लिए जगह मिल जाती है। अगर हिन्दु हुआ तो वह जलकर यहां से चला जाता है और अगर मुलमान हुआ तो कश्मिस्तान में चला गया। यह हिन्दुस्तान में इन लोगों की जिन्दगी है। जो हिन्दुस्तान की इस धरती पर पैदा होता है हम चाहते हैं कि उसको काम भी मिलना चाहिए और उसको जिंदा रहने के लिए काम करने का हक भी होना चाहिए। इसके लिये उसको सहूलियतें मिलनी चाहियें। जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं, बैंकों में काम करते हैं उनकी तनख्वाहें ज्यादा होती हैं लेकिन जो खेतों में काम करते हैं, सामान ढोते हैं, निर्माण का काम करते हैं जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको बहुत कम मजदूरी मिलती है। हमारे यहां यह जो चल रहा है जो हाकर्स की समस्या है यह देश के सामने एक राष्ट्रीय समस्या है। इसके लिये एक कमीशन या एक कोई बाडी केन्द्रीय स्तर पर बनानी चाहिये और सारे हाकर्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिये और

इसके बाद जितनी भी जल्दी हो सके उनको आबाद करने का प्रयास करना चाहिये। ये लोग भी देश की यूजफूल सेवा करते हैं। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। साथ ही साथ आप देखें कि आप दिल्ली में चले जाइये जो कार वाले हैं वे इनकी दुकानों में खाना खाते हैं, इनकी दुकानों से सामान खरीदते हैं वे वहां की बड़ी-बड़ी दुकानों में नहीं जाते हैं। यह इसलिये है क्योंकि वे सस्ता सामान देते हैं और अच्छा सामान देते हैं। इस प्रकार अधिक साफेटिंग के खिलाफ ये एक तरह का आंदोलन चला रहे हैं। जो मुनाफा कमाने वाले लोग हैं, जो लोगों को लूटने वाले लोग हैं उनके खिलाफ उनका यह आंदोलन है। तो मैं चाहता हूं कि उनकी जिदगी में भी स्थायित्व आना चाहिये। यह प्रस्ताव बहुत सामयिक है और हमारे देश की सरकार का ध्यान इन लोगों की तरफ जाना चाहिये। सरकार को इस तरह से आगे शहरों की प्लानिंग करनी चाहिये जिसमें इन लोगों का भी ध्यान रखा जाय और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इनको कुछ न कुछ सुविधा देकर इनको आबाद करने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी (आंध्र प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रीमती ईला भट्ट ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है यह बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है और इसके पीछे जो भी भाव है उसको सरकार को समझना चाहिये। हिन्दुस्तान को आजाद हुए 40 साल हो गये हैं लेकिन आज भी कई समस्याएँ देश के सामने हैं और खासकर ऐसी समस्याएँ जिनकी तरफ महात्मा गांधी जी ने देश का ध्यान दिलाया था। इन समस्याओं को मद्दे नजर रखते हुए कानून को बनाना है। महोदय, आज जो प्रस्ताव हमारे सामने है सरकार का ध्यान इस ओर दिलाता है कि आज भी हजारों लोग सड़कों पर हैं और सड़कों पर वे अपनी जिदगी गुजारते हैं। वे मजबूर हैं, उनको कोई न कोई काम चाहिये। इसलिये पहले से ही हमारी मांग यह रही है खासकर समाजवादी विचार-

धारा रखने वालों की उन्होंने पहले से ही यह विचारधारा देश के सामने रखी और उसके अनुसार हमारे कांस्टीट्यूशन में राइट टु वर्क का अधिकार दिया जाये। जब तक यह नहीं होगा तब तक लोग ऐसे ही कामों को जिन्हें वह आकांक्षामेंगे उनको अक्षितयार करेंगे। आज हम देखते हैं कि यह जो फेरी वाले हैं हाकर्स हैं वेडर्स हैं सारे देश में बड़े बड़े शहरों में बड़ी तादाद में हैं। दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, कलकत्ता तथा हैदराबाद आदि शहरों में इनकी तादाद दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है। इसके बढ़ने की वजह भी है और वजह यह है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है क्योंकि इस समस्या का हम नहीं निकाला गया है। जो फेरी वाले हैं वेडर्स हैं हाकर्स हैं, उसमें वच्चे बूढ़े और गरीब लोग हैं और औसत तबकों के लोग हैं। इन लोगों की जो समस्याएँ उनका हल सरकार को ढूँढना चाहिये। अगर समाज को एक अच्छे ढंग से ढालना है समाज को ताकतवार बनाना है जो समाज का कमजोर तबका है और निहत्था है उसको ताकतवार बनाना है मजबूत बनाना है। सरकार को चाहिये कि वह सब न रोजगार के लिए इन्जाम करे। इन लोगों ने अपने तौर से अपना रोजगार पैदा कर लिया है यह लोग छोटे छोटे काम करते हैं चीजें बेचते हैं उनको कोई दूसरा काम नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, तबका है उनके लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। अपने तौर पर उन्होंने अपना काम चलाया है तो कुछ सहूलियतें सरकार को तबका में उनको पहुंचानी चाहिये। समाजवादी विचार ने तीन चार चीजों की दृष्टि को ध्यान में रखा है। पहला उन्होंने कहा कि —

to formulate a national policy for the hawkers and vendors by making them a part of the broader structural policies aimed at improving their standards of living.

उनके स्टैंडर्ड्स आफ लिविंग को ऊंचा बनाने के लिए कोई नेशनल पालिसी बननी चाहिए सरकार की तरफ से क्योंकि उनको हमने हवा में छोड़ दिया है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। न सिर्फ हाकर्स

[श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी]

और वेंडर्ज के लिए बल्कि आम जनता की सेहत का भी सवाल इससे जुड़ा हुआ है। आजकल आप देखते हैं कि कहीं हंजा फैला हुआ है कहीं कोई दूसरी बीमारी फैल रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं। यह बीमारियां खराब पानी की वजह से अन-हाइजिनिक कंडीशंस की वजह से खाने पीने की चीजें ठीक न होने की वजह से फैल सकती हैं। यह हाकर्स भी खाने-पीने की कोई चीज बेचते हैं सड़कों पर खड़े हो कर बेचते हैं और चीजों को खुली रखते हैं ढंक कर नहीं रखते। स्कूलों के बच्चे इन चीजों को खा लेते हैं उनको यह पता नहीं चलता कि क्या चीज खानी है और क्या नहीं खानी है। अब जो हाकर्स और वेंडर्ज हैं उनको तो अपना धन्धा करना है, पेट पालना है तो सरकार को इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए कोई ऐसी नेशनल पालिसी बनानी चाहिये ताकि वेंडर्ज और हाकर्स अपना धन्धा ठीक जगह पर और ठीक ढंग से कर सकें। इसके साथ साथ उनके प्रोटेक्शन के लिए मक्खी बगैरह न बैठें कम से कम सरकार इतना तो कर सकती है कि उनको ऐसी चीजें प्रोवइड करे जिमसे वे अपनी चीजों को ढंक कर रख सकें। उनको यह हिदायत भी दी जानी चाहिए कि इन चीजों को साफ रखना जरूरी है। इसलिए इसके बारे में एक नेशनल पालिसी होनी चाहिए।

दूसरा यह है कि—

protect their existing livelihood;

यह भी बहुत जरूरी है कि उनकी जिन्दगी ठीक ढंग से गुजारने के लिए सरकार को कोई व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि वह अपनी जिन्दगी को ठीक ढंग से चला सकें गलत रास्ते पर न जाएं और अपना धन्धा भी चलाएं। उनको प्रोटेक्शन हो गारंटी हो कि इस काम से वह अपनी जिन्दगी ठीक ढंग से गुजार सकते हैं।

तीसरा यह है कि—

provide legal access to the use of available space in urban areas;

कई ऐसे इस्टॉसेज हैं कि उनको अवगदस्ती अपनी जगह से निगाला जाता है। कोई जगह तो म्युनिसिपैलिटी उनको जगह प्रोवाइड करती है, लेकिन इस से भी उनको कई दिक्कतें आ जाती हैं जब कभी उनके दिल में आता है उनको जगह म्युनिसिपैलिटी वाले हैं देते हैं और जब दिल में आए तो उनको वहां से निकाल भी देते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी अथॉरिटीज पुलिस वाले या दूसरे लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता है वह उनका हर तरीके से हैरासमेंट कर सकते हैं। सताते हैं उनसे रिश्वत लेते हैं। हर तरीके से वे परेशान करते हैं। सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि वे यह महसूस करें कि इस किस्म का हैरासमेंट नहीं होगा, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन तमाम चीजों में कानूनी तौर पर सरकार को उनको मदद पहुंचानी चाहिए, चौथा यह है :

"make them a special component of the plans for the urban development, by treating them as an integral part of urban distribution system;"

पांचवा है :

"give them legal status by issuing licences and providing exclusive hawking zones;"

और छठवां इश्यू है :

"issue guidelines for action at local levels."

ये तमाम चीजें जरूरी हैं, जैसे लीगल स्टेटस, इश्यू प्रापर लाइसेंस, यह सब करना चाहिए। कई बारदातें ऐसी हैं, कोई कई इंसीडेंट्स हैं जहां वगैर लाइसेंस के लोग चलाते हैं। इनका ज्यादा हैरासमेंट होता है चाहे म्युनिसिपल अथॉरिटीज से ही हो या पुलिस अथॉरिटीज से ही। जो इन कामों में लगे हुए हैं फेरी वाले हैं, सरकार को चाहिए कि इनकी जिन्दगी को ठीक बनाने के लिए

इनके धंधे को ठीक करने के लिए कानूनी तौर पर उनको लाइसेंस जगह इश्यू करे। सरकार की ऐसी योजना बनानी चाहिए कि सारे देश में हर बाजार में जहां भी इस तरह के काम करने वाले लोग हो इनके लिए सांइटिफिक बेसिस पर हाइ-जिनिक कंडीशंस बनायी जाये जहां पर बैठकर ये अपना काम चला सकें। बाजारों में हम देखते हैं और खास तौर से जो बड़े शहर दिल्ली, कलकता, हैदराबाद बम्बई आदि हैं वहां जितने भी हाकर्स हैं ये जगह जगह भटकते रहते हैं। एक जगह से निकालते हैं तो दूसरी जगह चले जाते हैं दूसरी जगह से हटाते हैं तो तीसरी जगह चले जाते हैं। उनको कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं। सरकार को इनके लिए कोई न कोई इंतजाम करना चाहिए। इस धंधे में लाखों लोग लगे हैं। इनकी कम तादाद नहीं है, लाखों की तादाद में ये हैं और ये ज्यादातर उस तबके से आते हैं जो गरीब हैं, जिनको कोई नौकरी नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई खेती नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। इस काम को सरकार को दिलचस्पी से अपने हाथ में लेना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए।

जो प्रस्ताव श्रीमती इला रमेश भट्ट जी ने सदन के सामने पेश किया है इसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस तरफ ज्यादा ध्यान देगी और इस समस्या को हल करेगी तथा इस प्रस्ताव के पीछे जो भाव है उसको मानेगी। जय हिन्द।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (Punjab): Mr. Vice-Chairman, Sir, I compliment Shrimati Ela Bhatt for espousing the cause of that section of our society which has not been lucky enough to draw the attention of Parliament for lot many years. She has vividly narrated the plight and travails of the poor vendors and hawkers in many areas of the cities.

Sir, the influx of labour and other poor people to the new towns and to the expanding towns is inevitable. This is a concomitant facet of development. The result

is mushroom growth of colonies lacking basic amenities. The inhabitants of these colonies and other downtown conglomerations turn to the hawkers and vendors for their daily needs, whether these be essential commodities or any other items of common use. With today's run-

4.00 P.M. way inflation, the people of the middle-class and the lower-middle-class families cannot afford to go shopping to posh shopping complexes, but wait eagerly for a hawker at the door-step or go to a vendor on the road-side for buying their wares at cheap rates. The fact that the vendors and hawkers cater to the needs of a vast majority of the populace of big cities confers no privilege on them. They are rather poor, self-supporting, hard working people who strive hard to eke out a living in quite an unfavourable environment and they thus save the nation from further compounding the gigantic problem of unemployment.

In a welfare society, one of our essential functions is to create more and more job opportunities for the expanding population. These hawkers and vendors do not expect the society to really help them by creating jobs for them, but it is quite unfortunate when we find that this important segment of society is rather treated with contempt by all alike, whether it be the town planners, the estate office, the municipal Corporations or the police.

The poor hawkers and vendors also often earn the wrath of the big shopkeepers, who, mostly feel that by squatting in the open spaces in the local markets, these people affect their business. The result is the formation of an unholy alliance between the big businessmen and the officials of the estate offices etc. to let all hell break loose on the poor vendors and hawkers.

As Shrimati Ela Bhatt very pathetically pointed out to the difficulties and hardships often faced by the vendors and hawkers in big cities, one just has to see it for himself the plight of these poor people when on the sight of a policeman they hurriedly gather their wares and run to save themselves and their goods from the clutches of the police and other enforcement agencies. Indeed a very telling

कहीं पर घूँप की चादर बिछाकर बैठ गए कहीं पर शम को सिरहाने लगाकर बैठ गए ।

जले जो रेत में तलवे तो हम ने यह देखा बहुत से लोग वहीं छपटाकर बैठ गए ।

मान्यवर, इन के लिए भी अपना रोजी-रोटी का, जीवन-यापन का, परिवार के पालन-पोषण का सवाल होता है जिसके लिए ये लोग इतनी दयनीय स्थिति में होते हैं । इन्हें इस बात के लिए मजबूर होना पड़ता है कि चाहे जितनी भी प्रताड़ना झेलनी पड़े चाहे कितना ही इनका शोषण हो चाहे इन से कितनी ही रिश्तत ली जाये लेकिन बच्चों के पेट की खातिर ये लोग ठेला लगाते हैं, अपनी रेहड़ी लगाते हैं और खोमचा लगाते हैं और उसे माथे पर रखकर हर द्वार पर दस्तक देने हैं और लोगों को उनकी ज़रूरत की चीजें उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं ।

मान्यवर, हमारे प्रथम प्रधान मंत्री का नारा था "आराम हराम है ।" पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया "जयजवान, जयकिसान ।" युवा हृदय संग्राट संजय जी ने नारा दिया, "बातें कम काम ज्यादा ।" स्वर्गीय इंदिरा जी ने नारा दिया, "गरीबी हटाओ ।" लेकिन इससे आगे बढ़कर हमारे देश के प्रधान मंत्री, गरीबों के मसीहा श्री राजीव गांधी ने नारा दिया "गरीबी हटाओ और बेकारी हटाओ ।" इसी श्रृंखला में; इसी को मद्देनजर रखते हुए, "इन्हीं भावनाओं के अनुरूप ईला भट्ट जी ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है । हमारे देश की जो वितरण प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, वह प्रत्यक्ष दूषित है, उसमें बहुत खामियां हैं । राशन की शॉप से उपभोक्ता को ज़रूरत की चीजें सही समय पर, सही दाम पर और सही रूप में, सही रूप में से मेरा मतलब है बगैर मिलावट की चीजें जो उन्हें मिलनी चाहिए जो उन्हें उपलब्ध होनी चाहिए । मैं बड़े प्रसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि

वे प्रायः नहीं मिल पाती । तो जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली दूषित हो जब उपभोक्ता को सही समय पर, सही दाम पर सामान न मिले, चारों ओर चीजें दिन प्रतिदिन मंहगी होती जा रही हों और जब बेरोजगारी बढ़ती जा रही हो तो इन सब चीजों के प्रकाश में जब कि गांव से शहरों की तरफ पलायन बढ़ता जा रहा हो, नौजवान पीढ़ी अपने रोजगार के लिए दर-दर भटकती जा रही हो तब रेहड़ी और फेरी लगाना अपने आपको स्वावलंबी बनाना है । जब आदमी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास करे, स्वावलंबी हो तो सरकार की तरफ से उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए, उनका उत्सहवर्धन होना चाहिए । और मेरा आपसे निवेदन है, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि वे लोग, हिन्दुस्तान में आज भी 60 प्रतिशत से ऊपर वे लोग हैं जिनके पास वाहन नहीं हैं । वाहन के अभाव में वे लोग सुपर मार्केट नहीं जा सकते । कम समय में जो फेयर प्राइस शॉप द्वार में हैं वहां जा नहीं पाते हैं । कई जगह तो यह सुनने में आता है कि जो गरीब मजदूर हैं, उसका जो कोटा है वह एक सप्ताह में ही खतम हो गया और इसलिए अब उसे आवश्यक वस्तुएं हैं, वे नहीं मिल पाएंगी ।

मान्यवर, आपने भी दौरों के दौरान देखा कि जहां सूखा पड़ा, बाढ़ आई, कई जगह यह शिकायत आई कि मजदूरों को मजदूरी समय पर नहीं मिल पाई और बाद में जब वे राशन की दुकानों पर गये तो उनको कहा गया कि आपका कोटा खत्म हो गया है । तो ऐसी स्थिति में जब उनको सही समय पर सही दाम में सही सामान न मिल पाये और ये रेहड़ी वाले उनको यही सामान उपलब्ध कराने की कोशिश करें तो उनका यह कदम एक सराहनीय कदम होगा, ऐसी मेरी मान्यता है । इससे उनकी आर्थिक मदद भी होती है कई दफा ऐसा भी होता है कि कोई अपनी पसन्द की चीज नहीं ला पाते हैं क्योंकि उसमें गूहणी की पसन्द भी होती है । घर में अगर कोई सामान लेकर आता है तो उसमें घर के सारे सदस्यों की पसन्द शामिल हो

[श्री सुरेश पचौरी]

जानी है। अमुक वस्तु ठीक रहेगी, इतने दाम में ठीक रहेगी, इस प्रकार यह ठीक रहेगा तो अपने घर में ही समय की बचत के साथ, पेट्रोल की बचत के साथ राही चीज उपलब्ध कराया जाना, यह रेहड़ी वालों का एक सराहनीय प्रयास है इसलिये सरकार की तरफ से उन्हें जितनी भी सुविधायें दी जा सकती हैं, दी जायें।

मान्यवर, हमारे देश की जो स्थिति है, हमारे देश की जो परिस्थिति है वह पाश्चात्य देशों से तालमेल नहीं खाती है बहुत भिन्न है। तो यदि हम उस लीक पर चलें जिस लीक पर कि पाश्चात्य देश चल रहे हैं और हमारा टाउन प्लानर इस हिमाव से नकशा खींचकर बैठ जाये कि इससे इस की सुन्दरता में बाधा आयेगी, सौन्दर्य-करण पर कहीं न कहीं दाग लग जायेगा यह बात राही माने में हमारे देश पर लागू नहीं होती। हमारे देश की जो अवस्था है, जो परिस्थिति है, हमारे देश का जो वातावरण है उसमें कुछ विभिन्नता है, जो हमारे देश में गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, हमारा कृषि प्रधान देश है तो यहां पर जो छोटी-छोटी बारीकियां टाउन प्लानर निकालते हैं, जो अन्य दुकानें ज्यादा जगह घेरती हैं उसकी अपेक्षा इनको यदि कोई खास जगह निर्धारित कर दी जाये किसी बड़ी जगह पर और वहां उनको सारी सुविधायें उपलब्ध करा दी जायें तो उसकी अपेक्षा ये कम जगह घेरेंगी।

जहां तक लाइसेंस का प्रश्न है तो लाइसेंस देने में भी इनको कई विकल्पों का भी सामना करना पड़ता है। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि उनको कई पुलिस वालों को प्रशासकीय अधिकारियों को रिश्वत देनी होती है। इसके साथ-साथ उनका शोषण भी उनको सहना पड़ता है उनकी प्रताड़ना सहनी होती है इन सारी स्थितियों से गुजरना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि ये लोग जो असंगठित हैं इनके लिये सबसे पहले जो छोटी-छोटी चीजें होती हैं जैसे तेल है, छोटे-छोटे सामान होते हैं सही समय पर उपलब्ध कराये जायें। सही दाम पर इनको उपलब्ध कराया जाये।

ये जो सामान बनाते हैं वह ताजा सामान होता है, प्रदूषण रहित सामान होता है। हमारे यहां जो बीमारियां फैल रही हैं वह प्रदूषणयुक्त खाने से फैल रही हैं जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बताया जो छोटे-छोटे ठेलों पर सामान मिलता है वह शाम तक पूरा खत्म हो जाता है। फिर उसमें ऐसी बात नहीं है कि बासी सामान मिल रहा हो जो अन्य बड़े बड़े पाश जगहों पर सुनते रहते हैं कि फ्रिज में रखा हुआ सामान मिलता है और दो-दो दिन तक चलता है। जब सारी बातें उनमें मिलती हैं तो मानवीय आधार पर कुछ अलग ढंग से उनके लिये विचार किया जाना चाहिये। लाइसेंस देने में जहां नियमितता नहीं है, जहां परेशानियों का सामना करना पड़ता है वहां समय निर्धारित करना चाहिये। कम से कम 5 वर्ष के लिए लाइसेंस दिया जाये। मेरा यह भी आग्रह है कि ऐसा लेजिस्लेशन लाया जाये जो इन्हें सारी असुविधाओं से दूर रख सके और उन्हें शोषण से मुक्ति दिला सके। उन सब परेशानियों का सामना न करना पड़े जिसकी वजह से कई बार अपने आप बड़ा असहायता महसूस करना पड़ता है। इस प्रकार की नीति निर्धारित की जानी चाहिये उपयुक्त समय पर इला भट्ट जी यह रेजोल्यूशन लायी है तो हम जहां इस बात के लिये कृतमंकल्प है कि आज हम आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनायेंगे इस श्रृंखला में यह भी एक संकल्प है, ऐसा मेरा सोचना है।

मेरी अपनी मान्यता है कि ये लोग किसी प्रकार से शहरों के विकास में अवरोध पैदा नहीं करते, किसी प्रकार से व्यवधान पैदा नहीं करते इसलिये यह बहाना प्लानर्स का कि अरबन एरियाज के डवलपमेंट में कहीं न कहीं ये अस्टेकल है यह बात कहीं भी मेल नहीं खाती। श्रीमती ईला जी जो संकल्प लायी है वह अपने आप में काफी सराहनीय है। मैं तो यह कहूंगा कि हम सब लोगों को कृतज्ञ होना चाहिये कि उन्होंने इस तबके को छुआ है जो तबका अपने आप को काफी प्रताड़ित असहाय महसूस करता है। मैं उन्हें वधाई इन शब्दों में देना चाहूंगा कि "जिन आंसुओं का ताल्लुक थाड है उन आंसुओं के साथ तेरा नाम जुड़ गया। अपने उन आंसुओं को पोंछने की कोशिश को ऐसी मेरी मान्यता है।

इसके साथ ही मेरा सरकार से भी निवेदन है कि इस सदन में चर्चा करने से काम नहीं चलने वाला है। हमें कुछ निर्णय लेना होगा। इस प्रकार का निर्णय लेना होगा कि ये लोग अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें। ये लोग किसी पर असहाय न होकर अपना खुद का रोजगार चला सकें। सरकार जो कि ग्राम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिये अंतःसंकल्प है उस श्रृंखला में कुछ हुआ है ऐसा ये लोग महसूस कर सकें। इस संबंध में पूरा सदन एक मत होगा मेरा ऐसा विचार है। निश्चित रूप से सरकार को कोई कारगर कदम उठाना चाहिये। एक नीति निर्धारित करनी चाहिये, कोई निर्णय लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ और सरकार से उम्मीद करते हुये यह कहता हूँ :

इस रास्ते का नाम लिखो एक शाम और
या इसमें रोशनी का करो इंतजाम और।

श्री अंबर लाल पंवार (राजस्थान) :
उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रीमती ईला रमेश भट्ट के इस संकल्प से सहमति व्यक्त करते हुए मैं अपनी मिश्रित प्रतिक्रिया भी व्यक्त करना चाहता हूँ। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दिल की इच्छा थी, उनका सपना था जिसको लेकर उन्होंने एक जिहाद छेड़ा था कि जुरीब वह दिन देखे ताकि वह मूल धारा में जुड़कर राष्ट्र के विकास में भागीदार बन सके। उसी कार्यक्रम में हमारे पंडित जी ने, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने आगे कदम उठाये और हमारे तबज्जान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने अपने देखा होगा कि इन 1985, 1986, 1987 और 1988 और 1989 के बजट में होक्स, कोपलर्स और बार्बर्स के लिए एलोकेशन किया। इन लोगों के लिए फण्ड का एलोकेशन करते हुए उनको रोजगार देने के लिए योजनाएँ बनाई ताकि वे लोग लाभान्वित हो सकें। ऐसे बजट के माध्यम से प्रावधान

किया वही एक कड़ी है जिसके साथ यह संकल्प भी जुड़ा हुआ है।

वैसे तो यह मुद्दा राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों से संबंधित मसला है, इसलिए मैं उन राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में जो चर्चा हुई है उस पर मनन करके इसकी भावनाओं के अनुरूप उन रेहड़ी वालों और फेरी वालों को राहत पहुंचाये। मान्यवर, आपका और माननीय सदस्यों को अभी हाल में ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक टी०वी० सीरियल दिखाया गया था, उसमें आपने देखा होगा कि दो संगठन बनाये गये हैं। एक पैदल चलने वालों का है और दूसरा फेरी वालों का जो पटरी पर बैठकर काम करते हैं, उनका है। उन दोनों में संघर्ष दिखाया गया है। वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के रूप में चलते हैं। आखिर में निष्कर्ष के रूप में यह बताया गया है कि पैदल चलने वालों को भी सड़क पर चलने का अधिकार है और गन्त्यों लोगों को भी अपनी रोजी-रोटी कमाने का अधिकार है। उनको भी अपना जीवनयापन करने का अधिकार है। उनको भी स्थान मिलना चाहिए। तेरे सीरियल के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया गया है। हम भी किसी की आंख में नहीं आये, उनके लिए अलग से स्थान निर्धारित करें। दूसरे लोग भी सड़क पर चलें। मान्यवर, कानून की दृष्टि से राजस्थान हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। वन ए वे इज आलवेज ए वे। सड़क के रूप में न तो स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थानों को और न किसी अन्य को अधिकार है और न ही किसी को निर्धारित समय के लिए लीज पर दिया जा सकता है। यह एक कानूनी प्रक्रिया है। उसी संदर्भ में हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। इस समस्या की उत्पत्ति कैसे हुई? समस्या की उत्पत्ति बढ़ती हुई आवादी के कारण हुई है मैं मानता हूँ कि जैसा हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि आने वाले 15-20 साल में इस परिवार नियोजन के माध्यम से हम जनसंख्या पर काबू पा लेंगे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। इस विश्व में अपने आप को यह दर्शाये कि

[श्री भंवर लाल पंवार]

हम भी नियोजित रूप से कोई काम कर रहे हैं। बाहर से आने वाले व्यक्तियों को यह लगे कि हमारा एक साफ सुथरा और सुन्दर देश है, सुन्दर राष्ट्र है। इस रूप में हमें इस समस्या की ओर देखना होगा।

महोदय, ये जो हाकर्स हैं, ये जो फेरीवाले हैं उनके साथ बुधारी तलवार वाली बात है। उनके संबंध में यह कहा जाता है और इस समस्या को हमें इसी तरह से देखना चाहिए कि ये फेरी वाले लोग गांव से आकर शहर में अपना कारोबार करते हैं। शहर वाले लोग जो हाकर्स के रूप में काम करते हैं तो मान्यवर आप इस समस्या को इस तरह देखिए कि एक गांव का व्यक्ति शहर में हाकर्स का काम करने वाले की बात में फंस जाये तो उसकी क्या हालत होती है। आप चांदनी चौक में पटरी पर बैठने वाले लोगों की तरफ ध्यान दें तो अगर कोई गांव वाला उनकी चंगूल में फंस जाये तो वे 5 रुपये की चीज को 50 रुपये में देते हैं। क्योंकि उसको वास्तविक स्थिति का पता नहीं होता इसलिए जो कपड़ा 5 रुपये का होता है और जब वह उसको 50 रुपये का बताता है तो वह उसको ले लेता है। इस प्रकार से ये हाकर्स उन गांव से आकर काम करने वाले हाकर्स को भी बदनाम करते हैं। इसलिए हमें इस समस्या को इस दृष्टि से भी देखना चाहिए। गांव से आकर यहां काम करने वाले अपनी रोजी रोटी चलाने के लिये अच्छा से अच्छा माल देते हैं, अच्छी से अच्छी सविस देते हैं, घर घर जाकर अपनी रोजी कमाते हैं। तो उनके लिए हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारी सहानुभूति नहीं हो सकती है जो हाकर्स व्यवस्था को भंग करें या चोर बाजारी के रूप में इस काम को करें। हमें हाकर्स के संबंध में इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वे ग्राहकों को सही माल दें, माल सही तोलें या नापें, भाव निश्चित हो और माल में स्थायित्व हो। जो स्थायी दुकानदार हैं उनके साथ यह

समस्या पैदा नहीं होती क्योंकि ये आज एक जगह पर होते हैं और दूसरे दिन दूसरी जगह पर चले जाते हैं इसलिए कोई इनसे शिकायत भी नहीं कर सकता। हाकर्स का कोई भरोसा नहीं होता क्योंकि दूसरे दिन वह वहां से गायब रहता है। इसलिए इसको इस दृष्टि से भी देखना आवश्यक है।

महोदय; मुझे जोधपुर शहर की नगर परिषद में अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला है और इस समस्या को मैंने नजदीक से देखा है। मैंने यह पाया है कि अगर ये लोग नियंत्रित रूप में अपना काम करें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार काम करें तो ये आवागमन की व्यवस्था में बाधक नहीं हो सकते। इनके लिए हम लोगों को स्वायत्त शासी संस्थाओं के जो नियम और उप-नियम बने हुए हैं उसके अनुसार उनका टाइम निश्चित कर दें तो इसमें कोई समस्या नहीं आयेगी। यह समय तक किसी जगह पर इस तरह का काम हो सकता है उसके बाद नहीं हो सकता है। इससे आवागमन में भी बाधा नहीं पड़ेगी और उनकी रोजी रोटी पर भी इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिल्ली में भी आप देखें रेलवे स्टेशन से आते समय दरियागंज में सुबह 7 बजे तक हजारों की तादाद में हाकर्स रोड पर सब्जी लिये बैठे रहते हैं और 7 बजे रोड बिल्कुल साफ हो जाती है। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नियम बनाकर स्थान और समय निर्धारित कर इस काम को कर सकते हैं। इस मिश्रित प्रतिक्रिया के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बलबीर सिंह) : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रीमती ईला भट्ट जी ने हाकर्स और बेंडर्ज के लिए जो संकल्प प्रस्तुत किया है यह बड़ी खुशी की बात है। इसमें मेरा कहना है कि जो गरीबों के लिए रेहड़ी वालों के लिए जो देहातों से शहरों में आते हैं इस दृष्टि से देखते हुए उनको देखते हुए भारत सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में सोचा। बहुत से लोग गांवों से रोजी रोटी की तलाश

में शहरों में आते हैं इनके लिए केन्द्रीय शासन ने एक योजना बनाई छोटे और मझौले शहरों के लिए योजना बनाई जिसमें यह प्रावधान रखा गया कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से 50 प्रतिशत पैसा दिया जाएगा और 50 प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट्स अपने प्लान बजट में रखेंगी। इससे एक लाख तक की आबादी के शहरों में हम ऐसे लोगों के लिए शापिंग सेंटर कायम करें ताकि लोग यहां पर न आए छठी पंच-वर्षीय योजना में 235 शहरों को हमने लिया और अभी सातवीं पंचवर्षीय योजना में 108 शहर लिये गये हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि प्लानिंग मिनिस्टर साहब भी यहां पर उपस्थित हैं। हमने पुनः निवेदन किया है प्लानिंग मिनिस्ट्री को क्योंकि यह जो योजनाएं हैं बहुत उपयोगी हैं और समय के भीतर होती हैं और छोटी छोटी म्युनिसिपैलिटीज़ में काम लिये जाते हैं छोटे छोटे शापिंग कम्प्लेक्स बनाए जाते हैं खास कर इन गरीब तबकों के लिए। हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज्यादा छोटे शहरों से बड़े शहरों में न आए। जहां तक इस बारे में एक नेशनल पालिसी बनाने का सवाल है वैसे भी हमारे प्रधान मंत्री जी ने नेशनल कमिशन आन अरबनाइज़ेशन सेट-अप किया है। उसमें यह सभी चीजें कवर कर दी हैं। इसकी इंटरिम रिपोर्ट भी हमें जनवरी, 1987 में मिल गई है इस इंटरिम रिपोर्ट में से कुछ अंश मैं यहां पर कोट करना चाहता हूं।

"The Commission is firmly of the opinion that unless the question of urban poverty is tackled, the energy of the poor utilised for productive activity and the environment created in which the informal sector becomes profitable, we cannot save our cities. The question of urban poverty is, therefore, receiving high priority attention from the Commission."

मैं जहां तक समझता हूं हमें आशा भी है हमें इंटरिम रिपोर्ट मिल गई है खास कर आपने जो यहां पर मूव किया है उसमें प्रायः आपके सभी सुझाव कवर होंगे और हमारी जो फाइनल रिपोर्ट है उन्होंने स्वयं कहा है कि खास कर हम अरबन एरिया में स्वयं महसूस करते हैं कि जो गरीब

तबके के लोग हैं उनके लिए हमारी किस तरह से पालिसी होनी चाहिए। मैं यहीं कहूंगा हमारी जो अरबन बेसेज सर्विसेज हैं और हमारे शहरों में जो सेल्फ इम्प्लाय-मेंट प्रोग्राम हैं फार दी अरबन एरियाज यह भी हम ले रहे हैं। इस चर्चा में 9

माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और श्री पंचारजी ने भी कहा कि खासकर यह राज्यों का विषय है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का है। जहां तक प्लानिंग की बात है हम यहां से गाइडलाइंस भी भेजते हैं कि प्रोपर प्लानिंग हो। ईला भट्ट जी ने भी कहा कि इन लोगों के लिए प्रोपर प्लानिंग हो। आपने यह भी कहा कि पुलिस भी परेशान करती है। म्युनिसिपैलिटी के लोग भी परेशान करते हैं लेकिन हम स्वयं यह महसूस करते हैं इसलिये दिल्ली में कारपोरेशन ने भी यहां स्थान नियत किये हैं जिसको तहबाजारी कहते हैं इसके लिए उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं और वे उनसे किराया वसूल करते हैं। लेकिन अब मांस डमम जो लोग आते हैं, मैं आपकी बातों में सहमत हूं कि रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं लेकिन इसमें खासकर हमें यही कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इसको देखना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट्स को भी इसमें हिस्सा करना चाहिए और इनके साथ साथ जो यहां पर सम्मानीय पंचारजी ने भी भाषण में उद्धृत किया मैं उनकी विचारधारा से पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन इसमें जो एक नेशनल पालिसी होनी चाहिए इस पर हमें कहना है कि हमारी चार्ल्स कोरिया कमिशन की रिपोर्ट है वह फाइनल आनी है और यह डमी का इन्टरमल पार्ट है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि वेंडर्स और हाकर्स के लिए अलग से बनायें। सारी चीजें उसमें कवर होती हैं। ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना कहूंगा कि हमारे सम्मानीय सदस्यगणों ने जो सुझाव दिये हैं उनको मैंने पूरी तरह से नोट किया है और जब भी कभी हमारी चार्ल्स कोरिया कमिशन की फाइनल रिपोर्ट आयेगी तो उसमें पूरी तरह से इन सब पर गौर किया जायेगा। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपने जो रिजोल्यूशन मूव किया है इसको कृपया विद्वान करें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ANAND SHARMA): Mrs. Bhatt, you can reply to the debate.

श्रीमती ईला रमेश भट्ट : कोई ज्यादा रिप्लाय तो नहीं करना है। जितने सदस्यों ने इस रिजोल्यूशन के ऊपर अपना समर्थन दिया इसके कारण मुझे विश्वास है कि जो बात हमने हाकर्स के लिए वेंडर्स के लिए कही है उसमें कुछ दम है। सरकार ने हमें विश्वास दिलाया है। सरकार का विश्वास कैसा होता है यह तो हमें मालूम है लेकिन हम जानते हैं कि जब यह रिपोर्ट आयेगी तब उस रिपोर्ट में से वेंडर्स और हाकर्स के बारे में कुछ नीतियां होंगी। हम आशा करते हैं कि उसमें इनका हल निकलेगा। एक उदाहरण मैं देना चाहती थी जो मैं अपने वक्तव्य में देना भूल गयी थी वह है कि जैसे अभी बम्बई में सेंसस हुआ तो उसमें कहते हैं चार लाख हाकर्स एण्ड वेंडर्स हैं :

They have totally stopped giving licences. So far, in Bombay, there are only 10,000 licences.

1964 से किसी को लाइसेंस नहीं दिया गया। Another example is of Ahmedabad where, in all, only 1164 licences were given in 1984.

उसके बाद एक भी लाइसेंस नहीं दिया। अगर आप तलाश करेंगे तो पायेंगे कि शहरों में लाइसेंस देना बंद कर दिया गया है। इसके लिए किसको बोलें। म्युनिसिपल और पुलिस दोनों इसमें हैं। इससे जो पाइंट निकलता है उससे यह साफ होता है कि इससे ज्यादा करप्शन बढ़ता रहता है। किसी को ध्यान नहीं है कि इसका हल निकाला जाये। कम से कम लाइसेंस तो दिया जाये। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसके मुताबिक इनका कोई तो परिमाण होगा, उसी हिसाब से इन लोगों को लाइसेंस दिया जाये मैं आशा करती हूं कि आपके इस कमीशन में इन छोटी बातों के ऊपर भी ध्यान दिया जायेगा मैं यह भी आशा करती हूं कि आपका कमीशन इन लोगों को भी, इनके रिप्रे-

जेंटिब्स को भी बुलायेगा कि उनको क्या कहना है। इनको भी ठीक तरह से सुनना चाहिए। थैंक्यू।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ANAND SHARMA): Mrs. Bhatt, are you withdrawing your Resolution?

SHRIMATI ELA RAMESH BHATT: Yes, Sir, I beg to withdraw my Resolution.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ANAND SHARMA): Now, we move to the next Resolution, Shri Ashis Sen—not here. Yes, Shri Subramanian Swamy.

RESOLUTION REGARDING GENERATION OF INCREASED GROWTH RATE WITH A VIEW TO SPEEDY DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): Sir, I rise to move the following Resolution:

Considering the unimpressive economic performance during the last forty years in our country and taking into account the experience of China and USSR, this House urges upon the Government to abandon the Soviet economic strategy adopted earlier and instead formulate the Eighth Five Year Plan on the economic model shaped by the postulates of Mahatma Gandhi. Sardar Patel, Jai Prakash Narayan and Chaudhry Charan Singh, in general, and the principles of economic decentralisation and self reliance, in particular, with the main thrust on the need to motivate people for self-employment by providing them adequate incentives and opportunities with a view to:—

(i) generate a growth rate of ten per cent per year by placing more emphasis on agriculture employment generation and ensuring optimum utilisation of available resources through the effective use of market forces and fiscal policy; and